प्राक्कथन

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में आबकारी एवं कराधान, राज्य उत्पाद शुल्क, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, परिवहन तथा खदान एवं भू-विज्ञान विभागों सहित आर्थिक/सामान्य तथा सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत हरियाणा सरकार के विभागों की आई.टी. लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो वर्ष 2013-14 के दौरान की गई नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे; 2013-14 से अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक हैं, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।